No. 3630

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 634

वर्ष 1991-1992

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि सिद्धार्थ जन कल्याण समिति ।

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख बीस मास आर्य वर्ष उन्नीस सौ बानबे को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

Assistant Inspector General
of Registration
Bihar, Patna

for Regn. of Firms

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना

Principal
Radhe Shyam Public School
Supaul

बि०स०मु०(निबन्धन) 1—II—10,000—29-5-1986—के० साव

::- सिद्धार्थ जन कल्याण समिति -::
का स्मृति-पत्र

१:- संस्था का नाम:-	:-	सिद्धार्थ जन कल्याण समिति ।
२:- निबंधित कार्यालय:-	:-	इस संस्था का निबंधित कार्यालय-ग्राम-पोस्ट-मनोरा जिला-सुपौल।बिहार। राज्य में अवस्थित रहेगा ।
		संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

3:- संस्था का उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:--

सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से गिरे हुये लोगों के शारीरिक, मानसिक एवं ...सक्रिय सहयोग देकर उनमें सद्भाव, समता एवं आत्मनिर्भरता आदि गुणों का ...स करना ।

...के सभी सर्वहारा वर्ग के उत्थान हेतु आवश्यक प्रशिक्षणों की व्यवस्था करना ...उनके सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना ।

...हेतु संस्थाएं खोलना जैसे:- संस्कृत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, रात्रि पाठशाला, स्कूल कन्वेन्ट कोर्स, आंगनवाड़ी एवं बालवाड़ी की व्यवस्था करना ।

घ:- सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर नृत्य, संगीत, नाटक एवं अनेक कार्यक्रम का प्रशिक्षण देना ।

ङ:- पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना तथा गरीब एवं निःसहाय परिवार के बच्चों के पठन-पाठन हेतु पुस्तक, पत्र-पत्रिका मँगवाने आदि की व्यवस्था करना ।

च:- सामाजिक कुरीतियों के अन्तर्गत छुआछूत, दहेज-प्रथा, नशाखोरी बेईमानी आदि के उन्मूलन के लिये लोक शिक्षण का कार्य करना ।

छ:- राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता तथा सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भावना कायम करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाना ।

ज:- शिक्षित एवं अशिक्षित महिलाओं एवं युवतियों को सिलाई, कटाई, बुनाई, नीटिंग एवं कसीदाकारी का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना एवं आत्मनिर्भर बनाना ।

Principal
Radhe Shyam Public School
Supaul

// ? //

ञ:- संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार एवं समय अन्य अधिकारियों को लेकर आर्थिक, नैतिक एवं भौतिक सहयोग प्राप्त करना।

ट:- अल्प संख्यक समुदाय को सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिये प्रयत्न करना ।

ठ:- अल्प संख्यक समुदाय के कल्याणार्थ प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये 15 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रयत्न करना ।

ड:- अल्प संख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण के करने हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना ।

ढ:- रोग मुक्ति एवं परिवार कल्याण, [illegible], औषधालय आदि का प्रबन्ध तथा आरोग्यशाला की स्थापना करना ।

ण:- अल्प संख्यक समुदाय के छात्राओं के लिये प्राथमिक शिक्षक महाविद्यालय एवं अन्य प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना करना ।

त:- साक्षरता के प्रसार हेतु अनौपचारिक शिक्षा तथा वयस्क शिक्षा, स्कूल, पूर्व शिक्षा, आंगनबाड़ी एवं बालवाड़ी आदि का प्रबन्ध करना ।

थ:- बालिकों के स्वास्थ्य विकास हेतु पौष्टिक आहार वितरण करने की व्यवस्था करना।

द:- खादी ग्रामोद्योग का विकास करना, हैण्डलूम तथा खादी उद्योग के महत्व से परिचित कराने के लिये कार्यक्रम चलाना ।

ध:- निर्धन परिवार के बाल-बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करना । पंचायत प्रखण्ड एवं [illegible] स्तर पर अनौपचारिक रूप का कार्यक्रम लेकर जन समुदाय को प्रोत्साहित [illegible] ।

[illegible] स्वास्थ्य सुधार [illegible] के केन्द्र खोलना तथा होने वाले छुआछूत वाले रोगों का टीका करवाना ।

नर्सिंग होम खोलकर अल्पसंख्यक समुदाय का मुफ्त इलाज व्यवस्थायें करना ।

[illegible] संस्था के प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम/पिता/पति का नाम, पद, पता एवं पेशा नीचे दिया गया है जिनको संस्था के नियमानुसार प्रबन्ध का भार सौंपा गया है:--

क्रमांक नाम/पिता/पति का नाम	पद	पता	पेशा
1:- श्री राधे श्याम यादव पिता- श्री रसिक लाल यादव	अध्यक्ष	ग्राम- मैहशा, पोस्ट- महपतिया, जिला- मधुबनी	खेती
2:- श्रीमति विमल देवी पति- श्री आनन्द यादव	उपाध्यक्ष	ग्राम-पोस्ट- गनौरा जिला- सुपौल	खेती
3:- श्रीमति रामा राय पिता- श्री किशोरी यादव	सचिव	ग्राम-पोस्ट- गनौरा जिला- सुपौल	खेती

क्र0 पृ0 3.........पर

Radhe Shyam Public School
Supaul

4:- श्री आनन्द यादव पिता-श्री किशोरी यादव	कोषाध्यक्ष	ग्राम-पोस्ट-गनौरा जिला-सुपौल	खेती
5:- श्रीमति उर्मिला उपाध्याय पिता-श्री भगत उपाध्याय	सदस्य	ग्राम-पोस्ट-लोफा जिला-मधुबनी ।	खेती
6:- श्रीमति इन्दु देवी पति-श्री विष्णुदेव विद्यार्थी	सदस्य	ग्राम-पोस्ट-गनौरा जिला-सुपौल	खेती
7:- कुमारी मुन्नी पिता-सुबोध नारायण ठाकुर	सदस्य	ग्राम-पोस्ट-बेलोपा	खेती

6:- निम्नलिखित व्यक्ति जिनका, नाम/पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है वे इस संस्था के स्मृति पत्रानुसार संस्था को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत निबन्धन कराना चाहते हैं:--

क्रमांक नाम/पिता/पति का नाम ।	पता	पेशा	हस्ताक्षर
1:- श्री राधे श्याम यादव पिता-श्री रसिक लाल यादव	ग्राम-मेंहथा, पोस्ट- महपतिया, जिला-मधुबनी	खेती	ह०/= राधे श्याम यादव
2:- श्रीमति विमल देवी पति-श्री आनन्द यादव	ग्राम-पोस्ट-गनौरा जिला-सुपौल ।	खेती	ह०/= विमल देवी
3:- श्रीमति रामा राय पिता-श्री किशोरी यादव	ग्राम-पोस्ट-गनौरा	खेती	ह०/= रामा राय
4:- श्री आनन्द यादव पिता-श्री किशोरी यादव	ग्राम-पोस्ट-गनौरा जिला-सुपौल ।	खेती	ह०/= आनन्द यादव
5:- श्रीमति उर्मिला उपाध्याय पिता-श्री भगत उपाध्याय	ग्राम-पोस्ट-लोफा	खेती	ह०/= उर्मिला उपाध्याय
6:- श्रीमति इन्दु देवी पति-श्री विष्णुदेव विद्यार्थी	ग्राम-पोस्ट-गनौरा जिला-सुपौल ।	खेती	ह०/= इन्दु देवी

कृ० पृ० 3.......पर

Principal
Radhe Shyam Public School
Supaul

गवाह:- कुमारी मुन्नी   ग्राम-पोस्ट-बेनीपट्टी   ह0/= कुमारी मुन्नी

पिता-स्व0 नारायण ठाकुर   जिला-मधुबनी।

उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता को मैं पहचानता हूँ, जिन्होंने अपना हस्ताक्षर मेरे सामने किया है।

ह0/= आमोद प्रसाद यादव

2/3

भगवान बुद्ध प्राथमिक शिक्षक शिक्षा

महाविद्यालय, जिला।सहरसा।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

महानिरीक्षक निबन्धन, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि किया:-

पढ़ा:-

[illegible]ना किया:-

xxxxxxxxxxxxx

Principal
Radhe Shyam Public School
Supaul

3R50

INDIA

तीन रुपया पचास पैसे

THREE RUPEES FIFTY PAISE

:::- सिद्धार्थ जन कल्याण समिति -:::

की

नियमावली

1:- परिभाषा:-

क:- संस्था से अभिप्राय है- "सिद्धार्थ जन कल्याण समिति" ।

ख:- समिति से अभिप्राय है- संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

ग:- पदाधिकारी से अभिप्राय है- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।

घ:- वर्ष से अभिप्राय है- 1ली जनवरी से 31 दिसम्बर तक ।

ङ:- ऐक्ट से अभिप्राय है- सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 ।

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION BIHAR

कोई भी महिला एवं पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का होगा जो संस्था के उद्देश्यों एवं नियमों का पालन करेगा संस्था का सदस्य बन सकते हैं । सदस्य बनने के लिये आवेदन पत्र देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेगी । सदस्यों को प्रवेश शुल्क 11/- रुपया एवं मासिक सदस्यता शुल्क 5/- रुपया प्रतिमाह देना होगा ।

3:- सदस्यता से विमुक्ति:-

क:- स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

ख:- अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

ग:- तीन माह तक लगातार सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।

घ:- संस्था के नियम विरुद्ध आचरण करने पर ।

ङ:- मृत्यु या पागल होने पर ।

Principal
Radhe Shyam Public School

कृ० पृ० 2......पर

4:- कार्यकारिणी समिति का गठन:-

क:- संस्था की व्यवस्था कार्यकारिणी समिति करेगी जिसमें पदाधिकारी सहित 7 (सात) सदस्य होंगे ।

ख:- समिति का कार्यकाल 5 (पाँच) वर्षों का होगा । निवृत्त सदस्य पुनः निर्वाचित किये जा सकते हैं ।

ग:- समिति में कोई पद रिक्त होने पर समिति उक्त पद पर शेष अवधि के लिये किसी अन्य सदस्य को मनोनीत कर सकती है ।

घ:- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा में करना ।

5:- कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य:-

क:- सदस्यता स्वीकार या अस्वीकार करना ।

ख:- वार्षिक विवरणी तैयार करना एवं आम सभा में उपस्थापित करना ।

ग:- संस्था की सम्पत्ति का उत्तरदायी होना ।

घ:- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अन्य वैधानिक कार्य करना ।

6:- पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य:-

अध्यक्ष:-

क:- प्रत्येक बैठकों की अध्यक्षता करना ।

ख:- संस्था के कार्यों पर नियंत्रण रखना ।

ग:- विशेषपरिस्थिति में किसी विषय पर अपना निर्णायक मत देना ।

उपाध्यक्ष:-

क:- अपने जिम्मे सभी प्रकार के कार्यों का निष्पादन करना ।

ख:- अध्यक्ष के कार्य में सहयोग पहुँचाना ।

ग:- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करना ।

सचिव:-

क:- सभी बैठकों का आयोजन करना ।

ख:- सभी कार्यवाही अध्यक्षन रखना ।

ग:- समिति के पूर्व अनुमति के बिना 1,000/- (एक हजार) रुपया तक व्यय करना ।

घ:- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सभी तरह का प्रयास करना ।

ङ:- कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी करना ।

च:- संस्था से सम्बंधित सभी तरह का पत्राचार करना ।

छ:- बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना एवं सभी सदस्यों को कार्यवाही से अवगत कराना ।

Principal
Radhe Shyam Public School

कोषाध्यक्ष:-

क:- आय-व्यय लेखा रखना ।

ख:- आय-व्यय लेखा का वार्षिक विवरण आम सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

ग:- आय-व्यय लेखा का अंकेक्षण कराना ।

घ:- संस्था के नाम प्राप्त राशि का रसीद काटना एवं उस पर अपना एवं सचिव का हस्ताक्षर कराना ।

ङ:- संस्था के हित में आर्थिक से [illegible] धन संग्रह करना ।

7:- संस्था का कोष:-

क:- समिति द्वारा निर्धारित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में संस्था के नाम प्राप्त रकम को जमा करना और आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष इनलोगों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी करना ।

8:- आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य:-

क:- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख:- समिति की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार करना।

ग:- संस्था के [illegible]र्षिक प्रतिवेदन एवं बजट की स्वीकृति देना ।

[illegible] संस्था के [illegible]य-व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति देना ।

[illegible] [illegible]क्षक को नियुक्ति करना ।

[illegible] के स्रोत:-

[illegible] [illegible]सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

[illegible] [illegible], अनुदान एवं ऋण ।

[illegible] संस्था द्वारा उत्पादित वस्तु ।

घ:- सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा ।

10:- समिति की बैठक:-

क:- समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी ।

ख:- आम सभा की वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में होगी ।

ग:- विशेष या आपातकालिक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

11:- बैठक की सूचना:-

क:- सामान्य बैठक की सूचना दस दिन पूर्व दी जायेगी ।

ख:- आपातकालिक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी ।

ग:- बैठक की सूचना डाक या पंजी द्वारा दी जायेगी ।

Principal

Radhe Shyam Public School

12:- प्रार्थित बैठक:-

एक तिहाई सदस्यों के लिखित मांग पर सचिव को आवेदन में लिखित विषयों के निर्णयों हेतु बैठक बुलानी होगी । यदि सचिव एक माह के अन्दर बैठक नहीं बुलायेंगे तो आवेदकों को अधिकार होगा कि वे उक्त अवधि के बाद आवेदन में लिखित विषय के निर्णय हेतु बैठक का आयोजन कर सकते हैं, किन्तु इसकी सूचना विधिवत् सभी सदस्यों को दी जायेगी ।

13:- गणपूर्ति (कोरम):-

किसी भी बैठक के लिये कोरम उसके कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा । कोरम की पूर्ति नहीं होने पर बैठक स्थगित हो जायेगी । किन्तु स्थगित बैठक के लिये पुनः कोरम की आवश्यकता नहीं होगी और पूर्व निर्धारित विषयों पर ही विचार किया जायेगा ।

14:- नियमावली में संशोधन:-

नियमावली में कोई भी संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर ही किया जायेगा ।

15:- निधि [illegible] क्षण:-

[illegible] का आय व्यय का लेखा समुचित रूप से रखा जायेगा और प्रतिवर्ष आम [illegible] द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से अंकेक्षित कराया जायेगा ।

16:- पंजी का निरीक्षण:-

संस्था की सभी पंजियाँ निर्धारित कार्यालय में रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं

17:- कानूनी कार्यवाई:-

सभी तरह की कानूनी कार्यवाई जो संस्था पर या संस्था द्वारा होगी उसका संचालन सचिव करेंगे और उन्हें अध्यक्ष की राय से वकील नियुक्त करने का अधिकार होगा ।

18:- अन्यान्य:-

अन्य आवश्यक विषय जिनका उल्लेख इस नियमावली में नहीं हो पाया है उनके सम्बन्ध में सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 एवं इससे सम्बन्धित नियमावली पर लागू होगा ।

Principal
Radhe Shyam Public School
Supaul

कृ० पृ० 5.........पर

१९:- संस्था का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था:-

क:- अगर किसी कारणवश संस्था का विघटन करना पड़े तो विघटन आम सभा 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

ख:- विघटनोपरान्त संस्था की सारी चल एवं अचल सम्पत्ति सदस्यों या गैर में नहीं वितरित कीजायेगी बल्कि समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से दे दी जायेगी ।

हम प्रमाणित करते हैं कि यह संस्था की नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है ।

ह0/= । राधेश्याम यादव ।	ह0/= । रामा राय ।	ह0/= । आनन्द यादव ।
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

यह सच्ची अभिप्रमाणितप्रतिलिपि है ।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, बिहार, पटना ।

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION

टंकण किया:-

तुलना किया:-

xxxxxxxxxxxx

Principal
Radhe Shyam Public School
Supaul